

प्रेस नोट

दिनांक 18.06.2024

थाना को0नगर पुलिस द्वारा 06 शातिर चोर/लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार (लूटी हुई), 02 अदद देशी तमंचा, 01 अदद नकली पिस्टल, 02 अदद टेबलेट, 05 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-435/24, धारा 458,506 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट से सम्बन्धित 06 वांछित अभियुक्तों-01. संदीप कुमार जायसवाल, 02. चांद बाबू, 03. नियाज, 04. उस्मान खान, 05. इरफान अली उर्फ दम्मा, 06. विशाल सोनी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार (लूटी हुई), 02 अदद देशी तमंचा मय कारतूस, 01 अदद नकली पिस्टल, 02 अदद टेबलेट, 05 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.06.2024 को वादी उदयरज यादव पुत्र मुंशीलाल यादव नि0 रानी पुरवा जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी कि कल रात्रि घातक हथियारों से लैस अज्ञात लोगो द्वारा उसके किराये के मकान में चोरी का प्रयास किया गया था। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान मनुअल व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की मदद से प्रकाश में आये 06 आरोपी अभियुक्तो-01.संदीप कुमार जायसवाल, 02. चांद बाबू, 03. नियाज, 04. उस्मान खान, 05. इरफान अली उर्फ दम्मा, 06. विशाल सोनी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से स्वीफ्ट डिजायर कार (लूटी हुई), 01 अदद घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाईकिल व जामातलाशी के दौरान अभियुक्त नियाज अहमद के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, अभियुक्त उस्मान खान के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, चांद बाबू के कब्जे से 01 नकली पिस्टल, 02 अदद टैबलेट बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ कमाने हेतु जनपद गोण्डा व आसपास के जनपदों में लूट/चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने दिनांक 13/14.06.2024 की रात्रि वादी उदयरज यादव के पंतनगर स्थित किराये के मकान में चोरी का प्रयास किया गया था तथा दिनांक 16.06.2024 को जरवल रोड चीनी मिल के पास से वादी सोनू पुत्र हीरालाल नि0 डोकरी थाना बौडी जनपद बहराइच से स्वीफ्ट डिजायर कार की लूट की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जरवल में मु0अ0सं0-150/24, धारा 392,411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. संदीप कुमार जायसवाल पुत्र राममिलन जायसवाल नि0 डोकरी सलेमपुर थाना बौडी जनपद बहराइच।
02. चांद बाबू पुत्र स्व0 इस्माइल नि0 नौरईरू निकट गल्ला मण्डी थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
03. नियाज पुत्र वली मोहम्मद नि0 गंगवारा थाना देवा जनपद बाराबंकी।
04. उस्मान खान पुत्र मुन्ना उर्फ मोहरू नि0 बेगमपुर थाना रामगांव जनपद बहराइच।

05. इरफान अली उर्फ दम्मा पुत्र स्व० जमील अहमद नि० कस्तूरी थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
06. विशाल सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी नि० डोकरी सलेमपुर थाना बौडी जनपद बहराइच।

अनावरित अभियोग—'

01. मु०अ०सं०—435/24, धारा 458,506 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—150/24, धारा 392,411 भादवि थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।

बरामदगी—

01. 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार (लूटी की)
02. 01 अदद घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाईकिल।
03. 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्द कारतूस 315 बोर।
04. 01 अदद नकली पिस्टल।
05. 02 अदद टैबलेट।
06. 05 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन।
07. 05 अदद कीपैड फोन।
08. 01 अदद क्रेडिट कार्ड एच०डी०एफ०सी० बैंक।

अभियुक्त उस्मान का आपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—215/22, धारा 380,457,411 भादवि थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
02. मु०अ०सं०—242/23, धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
03. मु०अ०सं०—325/20, धारा 379,411 भादवि थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
04. मु०अ०सं०—349/22, धारा 413,414,489 भादवि थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
05. मु०अ०सं०—956/17, धारा 380,411,457 भादवि थाना रामगांव जनपद बहराइच।
06. मु०अ०सं०—95/23, धारा 380,411,457 भादवि थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच।
07. मु०अ०सं०—176/23, धारा 380,411 भादवि थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच।
08. मु०अ०सं०—206/23, धारा 380,411 भादवि थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच।

अभियुक्त नियाज का आपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—187/21, धारा 380,411,457 भादवि थाना को० देहात जनपद बहराइच।
02. मु०अ०सं०—101/21, धारा 380,411,457 भादवि थाना को० नगर जनपद बहराइच।
03. मु०अ०सं०—103/21, धारा 380,411,413 भादवि थाना को० नगर जनपद बहराइच।
04. मु०अ०सं०—108/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद बहराइच।
05. मु०अ०सं०—90/21, धारा 379,511 भादवि थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।
06. मु०अ०सं०—158/21, धारा 380,411,457 भादवि थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
07. मु०अ०सं०—135/21, धारा 380,411,457 भादवि थाना फखरपुर जनपद बहराइच।
08. मु०अ०सं०—83/21, धारा 380,411,457 भादवि थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

अभियुक्त चांद बाबू का आपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—6/18, धारा 392,411 भादवि थाना को० देहात जनपद बहराइच।
02. मु०अ०सं०—2/18, धारा 411,419,420,467,468 भादवि थाना खैरीघाट जनपद बहराइच।
03. मु०अ०सं०—2131/16, धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
04. मु०अ०सं०—166/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना रिसिया जनपद बहराइच।
05. मु०अ०सं०—167/21, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना रिसिया जनपद बहराइच।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय ।
02. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्र ।
03. उ0नि0 पिन्टू यादव ।
04. हे0का0 चन्द्रशेख यादव ।
05. हे0का0 ध्रुव कुमार ।
06. का0 उमेश पाल ।
07. का0 राहुल कुमार ।
08. का0 नवीन सिंह ।

मीडिया सेल, गोण्डा ।

प्रेस नोट

दिनांक 18.06.2024

"ऑपरेशन धरपकड़" अभियान के तहत, 16 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को विशेष अभियान चला कर अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 16 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनका विवरण निम्न है- थाना कटराबाजार पुलिस ने 04, थाना को0तरबगंज पुलिस ने 03, थाना छपिया पुलिस ने 04, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02, थाना को0कर्नलगंज पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 व थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.06.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कनविकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व प्रत्येक को रूपए 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविकशन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. अमित श्रीवास्तव उर्फ लाला पुत्र स्व0 सुरेन्द्र श्रीवास्तव निवासी इमलिया गुरुदयाल थाना को0नगर, जनपद गोण्डा, 02. विजय सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र बंशीधर सिंह निवासी टैगोर नगर कालोनी बहराईच रोड़ थाना को0नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्नर व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को रु 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. अमित श्रीवास्तव उर्फ लाला पुत्र स्व0 सुरेन्द्र श्रीवास्तव निवासी इमलिया गुरुदयाल थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।
02. विजय सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र बंशीधर सिंह निवासी टैगोर नगर कालोनी बहराईच रोड़ थाना को0नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-900/2020, धारा 302 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक-18.06.2024
#करें योग रहे निरोग

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाईन गोण्डा में योग सप्ताह के अवसर पर किया गया योगाभ्यास ।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में योग सप्ताह के अवसर पर समस्त थानों से आये हुए जवानों के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड गोण्डा में योगाभ्यास किया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जवानों द्वारा योग सप्ताह के अवसर पर आयोजित योग शिविर में विभिन्न प्रकार के योगासनों का अभ्यास किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के द्वारा योगाभ्यास के दौरान बताया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में 15 से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह का आयोजन किया गया है। योग करना शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है नियमित योग करने से व्यक्ति सेहतमंद रहता है तथा सकारात्मक विचार आते हैं। योगाभ्यास में जनपद के समस्त थानों/कार्यालयों से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा उल्लास के साथ प्रतिभाग किया जा रहा है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

